(वाद सं0–964/18)

22.06.2021

परिवादी, विनोद चौधरी, अपने बहनोई, रौशन चौधरी, के साथ उपस्थित हैं।

परिवादी को सुना।

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी के पिता विशेश्वर चौधरी की तेलांगना राज्य स्थित भी0भी0मेन्ट फैक्ट्री, बन्धा पली, थाना–जिनाराम, जिला–मेढ़क में फैक्ट्री के ठेकेदार और सुपवाईजर द्वारा मिलकर हत्या कर उसके शव को बिहार राज्य के मृतक के पैतृक गाँव (रोहतास जिलान्तर्गत ग्राम–गंगहर टोला, पोस्ट–तराढ़, थाना–नोखा) भिजवाने से संबंधित घटना का अनुसंधान न किये जाने तथा उसके मृतक पिता को नियामानुसार क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं किये जाने से संबंधित है।

इस संबंध में पुलिस अधीक्षक, रोहतास, सासाराम से प्रतिवेदन की मांग की गयी। पुलिस अधीक्षक, रोहतास, सासाराम द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रसंगाधीन मामले के संबंध में नोखा थाना कांड संख्या–00/16, दिनांक–23.10.2016 दर्ज कर मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम के अनुसार मृतक के मृत्यु का निम्नांकित कारण दर्शाया गया हैः–‘‘Death May be due to Poison But Finel Report Can be given after Chemical examination of Visera test.’’

उक्त प्रतिवेदन पर परिवादी से प्रत्युत्तर की मांग की गयी। परिवादी द्वारा दिये गये प्रत्युत्तर पर पुनः पुलिस अधीक्षक, रोहतास, सासाराम से प्रतिवेदन की मांग की गयी। अपने दुसरे प्रतिवेदन में पुलिस अधीक्षक, रोहतास, सासाराम द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि परिवादी का पिता, विशेश्वर चौधरी, की तेलांगना राज्य स्थित भी0भी0मेन्ट केमिकल कम्पनी में काम करते थे। वहीं उनके ग्रामीण कमलेश चौधरी भी काम करते थे। दिनांक–19.04.2014 को ठेकेदार श्री निवास रेड्डी उर्फ किशन कुमार द्वारा परिवादी के पिता

विशेश्वर चौधरी की मृत्यु की सूचना उक्त कमलेश चौधरी को दी गयी तथा उक्त कमलेश चौधरी के साथ एम्बुलेंस से परिवादी के पिता के शव को उसके पैतृक गांव गंगहर टोला, पोस्ट–तराढ़, थाना–नोखा भेजवा दिया गया जहां दिनांक–21.06.2014 को परिवादी के मृतक पिता के 'शव' का सदर अस्पताल, सासाराम में पोस्टमार्टम कराया गया। परिवादी के फर्दब्यान के आधार पर भा0द0स0 की धारा, 302/34 के अन्तर्गत नोखा थाना कांड सं0–00/2016, दिनांक–23.10.2016 दर्ज कर नोखा थाना के द्वारा उचित माध्यम से मृतक विशेश्वर चौधरी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट, अन्त्य परीक्षण रिपोर्ट एवं परिवादी, विनोद चौधरी के फर्दब्यान को थाना–जीनाराम, जिला–सारडीह, तेलंगाना अग्रसारित कर दिया गया जहां जीनाराम थाना द्वारा जीना राम थाना कांड सं0–23/17, दिनांक–17.12.2017 संस्थित किया गया। जीना राम थाना कांड संत्र–23/17, दिनांक–17.12.2017 में पुलिस द्वारा अन्वेषणोंपरान्त ''Lack of evidence'' बताकर अंतिम प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जीनाराम थाना द्वारा अन्वेषण के फलाफल के संबंध में परिवादी को दिनांक–25.01.2018 को नोटिस निर्गत किया गया। परिवादी का कथन है कि वह उक्त नोटिस प्राप्त करने के बाद उसकी ओर से कोई जीनाराम थाना में अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं हुआ। परिवादी का कथन है कि अपने पिता की मृत्यु के बाद उनका परिवार भुखमरी का शिकार हो गया है तथा उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। वह तेलंगाना राज्य जाकर अपने पिता के केस की पैरवी करने व पिता की मृत्यु की क्षतिपूर्ति व अन्य बकाया राशि का भुगतान प्राप्त करने में अपने को असमर्थ महसूस करता है। परिवादी की ओर से अनुरोध किया गया है कि उसके पिता की मृत्यु की क्षतिपूर्ति राशि व पिता के सेवाकाल की बकाया राशि के भुगतान हेतु कार्रवाई किया जाय।

प्रसंगाधीन मामला तेलंगाना राज्य से संबंधित है तथा राज्य आयोग को तलंगाना राज्यान्तर्गत घटित घटना का क्षतिपूर्ति दिलाने का क्षेत्राधिकार नहीं है। परिवादी को यह सलाह दी जाती है कि अपने पिता के सेवाकाल के बकाया राशि व उनकी भी0भी0 मेन्ट केमिकल

फैक्ट्री में हुई मृत्यु की क्षतिपूर्ति के संबंध में नियमानुसार तलंगाना राज्य के सक्षम प्राधिकार के समक्ष सुसंगत प्रमाणों के साथ The Employee's Compensation Act, 1923 के प्रावधानुसार याचिका दाखिल कर वांछित अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं।

वर्णित स्थिति में प्रसंगाधीन मामले को राज्य आयोग के स्तर पर संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

<u>निबंधक</u>